74 | 2017 | HR

कार्यालय प्रबन्ध संचालक
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल
निष्ठापरिसर, गोविंदपुरा, भोपाल. 462023
फोन आफिस 0755–2602034, 2602035 फैक्स–2589821
Website : www.mpcz.co.in

मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्र.–प्रसं / म.क्षे. / प्रशासन / पुरस्कार–नीति / 6421 भोपाल, दिनांक 2-8-17

– परिपत्र –

विषयः–कंपनी क्षेत्र के लिये उत्कृष्ट कार्यो के लिये स्थाई पुरस्कार नीति।

1. कंपनी क्षेत्रान्तर्गत प्रशासकीय / कार्यालयीन कार्य, वृद्धि संबंधी कार्य, ट्रांसफार्मर मैंटेनेंस कार्य, न्यूनतम विद्युत हानियॉ, संधारण निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किये जाते है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह (14 दिसम्बर से 21 दिसम्बर) भी कंपनी द्वारा मनाया जाता है। उपरोक्तानुसार पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भिन्न–भिन्न अवसरों पर होने से पुरस्कारों की स्वीकृतियॉ भी अलग–अगल समय पर दिये जाने से इस पर होने वाले वार्षिक व्यय का सही आकलन नहीं हो पाता है तथा पुरस्कार के रूप में दिये जाने वाले ''स्मृति चिन्ह'' एवं प्रमाण पत्रों में एकरूपता नहीं हो पाती है। इस हेतु कंपनी क्षेत्रान्तर्गत नीति जारी की जाती है।

2. कंपनी के संचालक मंडल या प्रबंध समिति द्वारा आवश्यकतानुसार इस स्थाई पुरस्कार नीति में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे संशोधन जारी होने के माह के आगामी माह से ही प्रभावशील माना जायेगा।

3. कंपनी क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवर्ष पुरस्कार आयोजन निम्न अवसरों / स्थान पर प्रदान किये जायेंगे :–

स्थान जहॉ पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे

(i) कंपनी मुख्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालय परिसर ग्वालियर में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) एवं गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर कंपनी के कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्यो के लिये ''व्यक्तिगत पुरस्कार'' तथा उत्कृष्ट कार्यो के लिये अलग–अलग श्रेणीवार चयनित कार्यालयों को अलग–अलग ''सामूहिक पुरस्कार'' प्रदान किये जायेंगे। वृत्त कार्यालयों में केवल झंडावंदन का कार्यक्रम होगा।

Circulate to All

(ii) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह (14 दिसम्बर से 21 दिसम्बर) में कंपनी मुख्यालय, दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 15 वृत्तों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

4. कंपनी क्षेत्रांतर्गत भोपाल क्षेत्र एवं ग्वालियर क्षेत्र में संभाग, उपसंभाग तथा वितरण केन्दों में कार्यरत कर्मियों/कार्यालयों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किये जाने के लिये निम्नुनसार मापदण्ड/कार्यो के तहत पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

(अ) <u>व्यक्तिगत पुरस्कार</u> :– कंपनी द्वारा राष्ट्रीय त्यौहार (26 जनवरी) **गणतंत्र दिवस** पर निम्नलिखित विभागीय कार्य एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने वाले कार्मिकों को व्यक्तिगत पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे :–

(i) राजस्व वृद्धि संबंधी कार्य।
(ii) बिजली चोरी की रोकथाम (सतर्कता कार्य)।
(iii) प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य समय–सीमा में संपूर्ण संपादन।
(iv) लोड मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्य।
(v) गुणवत्ता नियंत्रण एवं कुशल विकास।

(ब) <u>सामूहिक पुरस्कार</u> :– कंपनी द्वारा राष्ट्रीय त्यौहार (15 अगस्त) **स्वतंत्रता दिवस** पर निम्नलिखित विभागीय कार्य एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने वाले कार्मिको को व्यक्तिगत पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे :–

(i) कंपनी क्षेत्र में ए.टी.एण्ड सी. लॉसेस में सर्वाधिक कमी (प्रतिशत में) लाने वाले वृत्त/संभाग।
(ii) राजस्व में गतवर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि (प्रतिशत में) प्राप्त करने वाले वितरण केन्द्र/जोन शहरी वितरण केन्द्र।
(iii) सबसे कम वितरण ट्रांसफार्मर (प्रतिशत में) फेल होने वाले संचा/संधा वृत्त।
(iv) सर्वाधिक बकाया राशि वसूलने वाले (प्रतिशत में) गतवर्ष की तुलना में दोनो क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी एक–एक वितरण केन्द्र।
(v) सबसे कम एक्सीडेंट वाले वृत्त।
(vi) कंपनी क्षेत्रांतर्गत भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में एक–एक ग्रामीण वितरण केन्द्र जहाँ ए.टी.एण्ड सी. हानियाँ सर्वाधिक कम (प्रतिशत में) हुई हो, ऐसे कार्यालय को शिल्ड और प्रशस्ति पत्र तथा वितरण केन्द्र के सभी कार्मिकों को व्यक्तिगत पुरूस्कार के रूप में 10 ग्राम चॉदी का सिक्का दिया जायेगा।

(स) अन्य विशिष्ट उपलब्धि/कार्य :– कंपनी द्वारा राष्ट्रीय त्यौहार (15 अगस्त) **स्वतंत्रता** दिवस पर निम्नलिखित उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने वाले कार्मिकों एवं उनके बच्चों को व्यक्तिगत पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे :–

(i) मेरिटोरियस अवार्ड।
(ii) खेल के क्षेत्र में उपलब्धि।
(iii) राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर उपलब्धि।

नोटः– इन कामों पर पुरूस्कार योग्य कार्मिकों का चयन, समिति के माध्यम से किया जायेगा।

5. पुरस्कार :–

(अ) कंडिका –4 'अ' 26 जनवरी (**गणतंत्र दिवस**) को वर्णित कार्यो के लिये **व्यक्तिगत पुरस्कार** प्रदान किये जायेंगे, इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले कंपनी कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतिक चिन्ह प्रदान किया जायेगा।

(ब) कंडिका –4 'ब' **15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)** में सामूहिक पुरस्कार कंपनी कार्मिको को कंडिका–4 ब में वर्णित कार्यो के लिये **सामूहिक पुरस्कार** प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के रूप में शिल्ड, चॉदी का सिक्का तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा।

(स) कंडिका –4 'स' **15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)** में अन्य विशिष्ट उपलब्धि/कार्य निष्पादित करने वाले कार्मिकों एवं उनके बच्चों को व्यक्तिगत पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र एवं प्रतिक चिन्ह प्रदान किया जावेगा।

6. चयन समिति :– स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कंपनी कार्यालयों तथा कार्मिकों को पुरूस्कृत करने के लिये चयन समिति का गठन प्रबंध संचालक के अनुमोदन से किया जायेगा। चयन समिति में न्यूनतम तीन मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी तथा महाप्रबंधक (प्रशासन) समिति के संयोजक होंगे। चयन समिति में परिवर्तन प्रबंध संचालक के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। चयन समिति कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के नामों पर विचार करेंगी, तथा यदि किसी कार्यालय अथवा कार्मिकों का नाम उपयुक्त है और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तो समिति को यह अधिकार भी होगा कि उसे चयन सूची में शामिल करे। उक्त पुरूस्कारों हेतु समन्वय का कार्य महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा किया जायेगा।

7. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह :–

(i) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रतिवर्ष 14 दिसम्बर से 21 दिसम्बर के सप्ताह को **"राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह"** के रूप में मनाती है जिसमें कंपनी कार्मिकों एवं विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के मध्य ऊर्जा संरक्षण विषयों पर प्रतिदिन अलग–अलग प्रतियोगितायें आयोजित कर विजेताओं को पुरूस्कृत किया जायेगा।

(ii) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह (14 दिसम्बर से 21 दिसम्बर) के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं हेतु भोपाल एवं ग्वालियर मुख्यालयों पर विजेताओं के चयन हेतु क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक चयन समिति गठन हेतु अधिकृत होंगे तथा सर्किल मुख्यालय पर संबंधित महाप्रबंधक समिति का गठन करेंगे।

(iii) यह प्रतियोगिता दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ प्रत्येक वृत्त मुख्यालय स्तर पर आयोजित होगी।

(iv) सप्ताह के प्रथम दिन कंपनी कार्य क्षेत्र के सभी कार्यालयों में प्रबंध संचालक के ऊर्जा संरक्षण संदेश का वाचन किया जायेगा। यह संदेश कंपनी मुख्यालय से अनुमोदित कराकर सभी कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा। यह कार्यक्रम 14 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे होगा। संदेश का प्रारूप कंपनी के जनसंपर्क अनुभाग द्वारा मध्यप्रदेश माध्यम के जरिये मुद्रित कराया जायेगा।

(v) **प्रतियोगिता की रूप रेखा एवं नाम :–**

अ. **चित्रकला प्रतियोगिता :–** यह कार्यक्रम दोनो क्षेत्रीय कार्यालय के साथ–साथ सभी वृत्त कार्यालय पर आयोजित किया जाता है। चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूली छात्र/छात्राओं के दो ग्रूप बनाकर यथा जूनियर ग्रूप एवं सिनियर ग्रूप में प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

ब. **निबंध प्रतियोगिता :–** कंपनी कार्मिकों के मध्य भोपाल क्षेत्र एवं ग्वालियर क्षेत्र में दो अलग–अलग प्रतियोगितायें क्षेत्रवार आयोजित की जायेगी। निबंध प्रतियोगिता प्रत्येक वृत्त मुख्यालय पर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के स्कूल छात्र/छात्राओं के लिये भी आयोजित की जायेगी।

8. **स्थापना दिवस** :– कंपनी का गठन दिनांक 31 मई 2002 को हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष कंपनी/क्षेत्रीय स्तर पर मनाया जाना है। स्थापना दिवस के अवसर पर निम्न आयोजन किया जायेगा।

(i) **निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ** :– समस्त कंपनी कर्मियों को कंपनी कार्य निष्ठापूर्वक किये जाने की शपथ दिलायी जाये।

(ii) **उच्चदाब/निम्नदाब उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जाना** :– जिला स्तर पर जिन ग्रामों से कंपनी के विद्युत देयकों का पूर्ण रूप से शत–प्रतिशत भुगतान किया गया है, वहाँ के प्रतिनिधि/गणमान्य नागरिकों को बुलाया जायें एवं उन्हें सम्मानित किया जाये। ऐसे उच्चदाब/निम्नदाब उपभोक्ता जिनके द्वारा कंपनी को विद्युत देयकों का शत–प्रतिशत भुगतान किया जाता है एवं जिनके द्वारा कंपनी कार्यो में सहयोग प्रदान किया जाता है उन्हें गणमान्य नागरिकों यथा– जिलाधीश एवं अन्य अधीनस्थ कंपनी के अधिकारीगण की उपस्थिति में सम्मानित किया जाये। साथ ही ऐसे स्थानीय नागरिक जिन्होने कंपनी कार्यो में सहयोग प्रदान किया है उन्हे भी सम्मानित किया जाये।

(iii) कार्यालयों की साफ–सफाई एवं कार्यालयीन रिकार्ड का रख–रखाव :– सभी कार्यालयों में साफ–सफाई कराइ जाये। कार्यालयीन रिकार्ड को व्यचस्थित रखा जाये, प्रत्येक बसते को व्यवस्थित करें एव उनकी फाईल/नस्तियों की सूची टाईप कर बस्ते के ऊपर चस्पा की जायें। कार्यालय में जो अनुपयोगी सामग्री है, उसका नियमानुसार निपटारा किया जाये। प्रत्येक कार्यालय में महिला शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।

(vi) रक्तदान शिविर :– कंपनी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है।

(v) वृक्षारोपण :– कंपनी के सभी कार्यालयों में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाये।

नोट :– उक्त कार्यक्रम में कंपनी क्षेत्रांतर्गत वृत्त में अपने स्तर से सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें।

9. पुरस्कार के लिये कमेटी :– पुरस्कारों के लिये कमेटी के गठन का अधिकार मुख्य महाप्रबंधक (मा.स.एवं प्रशा.) को होगा। वे प्रबंध संचालक से चर्चा कर पुरस्कारों के लिये चयन कमेटी नामांकित करेंगे।

10. पुरस्कारों की व्यवस्था :– पुरस्कारों का व्यय प्रकाशन उपअनुभाग के बजट के लेखाशीर्ष पब्लिक रिलेशन– पब्लिकेशन 75.700 लेखा कोड से विकलनीय होगा :–

(i) यह बजट प्रावधान उक्ताशय के सभी पुरस्कारों के लिये होंगे।
(ii) पुरस्कारों में 10 ग्राम चॉदी के सिक्के एम.एम.टी.सी. नई दिल्ली के माध्यम से क्रय किये जायेंगे।
(iii) प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र इत्यादि का मुद्रण/क्रय नियमानुसार प्रकाशन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पुरस्कारो एव प्रशस्ति पत्र की व्यवस्था कंपनी मुख्यालय के प्रकाशन उपअनुभाग द्वारा संपादित होगी।
(iv) पुरस्कारों में 10 ग्राम चॉदी के सिक्के के अतिरिक्त शेष पुरस्कारों/उपहारों का क्रय करने के लिये कंपनी मुख्यालय पर एक समिति जिसमें महाप्रबंधक (प्रशासन), महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं प्रकाशन अधिकारी होंगे।
(v) पुरस्कारो तथा आयोजन पर कुल अनुमानित व्यय का प्रावधान प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट में किया जायेगा।

तदानुसार उक्त पुरस्कार नीति कंपनी के कार्मिकों को प्रोत्साहन, कार्यक्षमता में वृद्धि, कार्यालयीन कार्य व्यवहार और उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि के अवसर प्रदान करेगी।

आदेशानुसार

(रूही खान)
मुख्य महाप्रबंधक (मा.स.एवं प्रशा.)

प्रतिलिपिः— 6422 / 2-8-17

1. निदेशक (तकनीकी) / (पी.डी.टी.सी.) कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.) कार्या. प्रबंध संचालक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे. / ग्वा.क्षे.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल / ग्वालियर– की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य महाप्रबंधक (क्रय) / (शहरी / ग्रामीण परियोजना) / (एम.एण्डबी.एम.) / (आर.ओ.सी.) / (आई. टी.) कार्या. प्रबंध संचालक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
6. महाप्रबंधक (स्थापना) / (प्रशासन) / (भर्ती) / (सिविल)कार्या.प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
7. कंपनी सचिव कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
8. महाप्रबंधक (संचा.संधा) / (शहर वृत्त) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
9. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (डिस्पेंशरी) गोविन्दपुरा बिजली नगर कॉलोनी भोपाल।
10. वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी, कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
11. वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
12. प्रबंधक I/II/III/IV/V/VI (मा.सं.) कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
13. प्रबंधक (मा.सं.)कार्या.मुख्य महाप्रबधक(भो.क्षे. / ग्वा.क्षे),म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल / ग्वालियर
14. वेबमास्टर / अनुभाग अधिकारी कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
15. निज सचिव संबद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
16. कार्यालय प्रति।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)